राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक – एफ 7 (2)( )रा.छा./सान्याअवि/15/ 32382   जयपुर, दिनांक 28/05/2015

आदेश

राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम, 2012 के नियम 27 के अन्तर्गत छात्रावासों की कुल स्वीकृत क्षमता की सीमा तक सीटो में कमी/वृद्वि तथा छात्रावास संचालन बन्द होने पर अन्यत्र स्थानान्तरण करने की प्रक्रिया एवं पात्रता में राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् निम्नानुसार स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैं :–

1. जिले में स्थित संबंधित श्रेणी के छात्रावासों की कुल स्वीकृत क्षमता की सीमा तक उसी श्रेणी के अन्य छात्रावासों में आवश्यकतानुसार सीटों में कमी/वृद्वि हेतु जिलाधिकारी के प्रस्ताव पर अतिरिक्त निदेशक (अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण योजना) अधिकृत होगें।
2. छात्रावास की संबधित श्रेणी के छात्रावासों की कुल स्वीकृत क्षमता की सीमा तक सम्पूर्ण राज्य के परिपेक्ष्य में आवश्यकतानुसार सीटो की वृद्वि/कमी हेतु विभागाध्यक्ष (आयुक्त/निदेशक) अधिकृत होगें।
3. संबंधित श्रेणी के छात्रावास के किन्ही कारणों से बन्द होने के फलस्वरूप छात्रावास को उसी श्रेणी के छात्रावास के रूप में आवश्यकतानुसार अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।
4. छात्रावासों की स्वीकृत क्षमता में वृद्वि राज्य सरकार द्वारा निर्मित छात्रावास भवन में स्थान की उपलब्धता को मध्यनजर रखते हुए की जा सकेगी।

उपरोक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

(अम्बरीष कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ 7 (2)( )रा.छा./सान्याअवि/15/ 32383-490   जयपुर, दिनांक: 28/05/2015

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. कार्यालय, महालेखाकार (लेखा/लेखा हक), राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,राजस्थान, जयपुर।
3. **निजी सचिव**, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. **निजी सचिव**, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. **निजी सचिव**, वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. **जिला कलक्टर**........................।
7. **संयुक्त शासन सचिव**, वित्त (व्यय–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. **मुख्य कार्यकारी अधिकारी**, जिला परिषद,...............................।
9. **उप्र निदेशक/सहायक निदेशक**/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय **एवं अधिकारिता विभाग**,......................................।
10. **एनालिस्ट कम प्रोग्रामर,मुख्यावास** को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश को तत्काल समस्त **जिला कलक्टर एवं विभागीय** जिलाधिकारियों को ई.मेल करवाकर आदेश को विभाग की वेबसाईट **पर ऑनलाईन करवाये।**

28.5.15

अतिरिक्त निदेशक
(अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण)

d/work/17-4-2015

Scanned by CamScanner